भारत सरकार – रेल मंत्रालय
अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन
मानक नगर, लखनऊ–226011

सं0 ए/जी/आर हॉल/पॉलिसी

दिनांक: 30.01.2019

विषय: अ.अ.मा.सं. परिसर में स्थित राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग/आवंटन हेतु नियम तथा प्रक्रिया।

—00—

अ.अ.मा.सं. परिसर में स्थित राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग/आवंटन हेतु नियम तथा प्रक्रिया संलग्न है। यह आदेश दिनांक 31.01.2019 से लागू होंगे।

30/1/19
(राजीव सिंह)
का.निदेशक/प्रशा–।।

संलग्नक: यथोक्त।

<u>वितरण</u>

यथा सामान्य।

नगर अभियंता/एसई/इस्टेट	कृपया उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
सहायक अभि.अभियंता/विद्युत अनुरक्षण	कृपया उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
सहायक कार्मिक अधिकारी/बिल्स	एसएसई/इस्टेट एवं सहायक अभि.अभियंता/विद्युत अनुरक्षण द्वारा रिपोर्ट की गयी धनराशि की रिकवरी सुनिश्चित कराने हेतु।
निदेशक/टेली	आरडीएसओ इन्ट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।

विषयः अ.अ.मा.सं. परिसर में स्थित राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग/आवंटन हेतु नियम तथा प्रक्रिया।

—00—

1. राजधानी हाल/नया राजधानी हाल पूर्वाह्न 11:00 बजे से अगले दिन 11:00 बजे पूर्वाह्न 24 घण्टे के आधार पर बुक किया जायेगा। 24 घण्टे के अतिरिक्त बढ़ने वाली अवधि को अगले 24 घण्टों में माना जायेगा।

2. आवंटन की वरीयता निम्न प्रकार होगीः

   (क) सरकारी समारोह

   (ख) अ.अ.मा.सं. कर्मचारी

   (ग) अ.अ.मा.सं. कर्मचारियों की विधवाओं को उनके पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह के लिए।

   (घ) अ.अ.मा.सं. कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक समारोह।

   (ड.) सेवानिवृत्त अ.अ.मा.सं. कर्मचारी।

   (च) अन्य रेलवे संगठनों के कर्मचारी।

   (छ) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी (अ.अ.मा.सं. के अतिरिक्त)

   (ज) अ.अ.मा.सं. केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापक तथा कर्मचारी।

अ.अ.मा.सं. कर्मचारी एवं रेल कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य किसी बाहरी को बुकिंग नहीं की जायेगी।

3. बुकिंग हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर सहायक कार्मिक अधिकारी/प्रशासन के पास अग्रिम रूप से जमा करना चाहिए। सभी सेवारत/सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों/अ.अ.मा.सं. कर्मचारियों द्वारा विवाह तथा विवाह संबंधी समारोह के लिए राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग उक्त प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 60 दिनों से पहले नहीं की जा सकेगी। आवेदन पत्र कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी एवं इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही अग्रसारित किया जाना चाहिए। बुकिंग के लिए प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकतानुसार सक्षम अधिकारी के निर्णय के उपरान्त ही बुकिंग की पुष्टि की जाएगी।

4. अ.अ.मा.सं. के सेवारत कार्मिकों से राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग संबंधी किराया प्रभार की कटौती, लागू जीएसटी प्रभार समेत, समारोह तिथि के अगले माह में उनके वेतन से की जायेगी।

5. सभी प्रार्थियों द्वारा बुकिंग संबंधी किराया प्रभार, लागू जीएसटी प्रभार समेत एवं जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी के लिए रु.50,000/– की राशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पोर्टल "एसबी कलेक्ट" के माध्यम से जमा किये जायेंगे। यह धनराशि आवेदन करने के समय जमा करानी होगी।इस राशि को जमा कराए जाने की रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जायेंगें।

6. बुकिंग हेतु निर्धारित प्रोफार्मा/आवेदन पत्र के साथ समारोह का मुद्रित निमंत्रण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिए अन्यथा बुकिंग करना सम्भव नहीं होगा एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी एक एफिडेविट (दस रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर) भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। ध्वनि प्रसारक यन्त्रो का उपयोग राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के बाहर खुले में तथा रात्रि दस बजे के बाद प्रतिबंधित होगा।

30/1/19

7. विवाह तथा विवाह संबंधी समारोह को सामाजिक समारोह पर वरीयता दी जायेगी।

8. अग्रिम समयावधि में समारोह का दिन नहीं माना जायेगा।

9. विद्युत प्रभारः

अ.अ.मा.सं. के सेवारत कार्मिकों से विद्युत प्रभार उनके मासिक वेतन से वसूल किया जायेगा। सहायक अभि.अभियंता/विद्युत अनुरक्षण द्वारा अ.अ.मा.सं. कार्मिकों के वेतन से वसूल किये जाने वाले विद्युत प्रभार को सहायक कार्मिक अधिकारी/बिल्स को सूचित करेंगे। अन्य सभी – सेवारत/सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अ.अ.मा.सं. कर्मचारियों को निर्धारित विद्युत प्रभार अग्रिम रूप से सहायक अभि.अभियंता/विद्युत अनुरक्षण के कार्यालय में जमा करना होगा। विद्युत संबंधी कोई अतिरिक्त प्रभार होंगे तो उन्हें जमानत राशि से समायोजित किया जा सकेगा।

10. हॉल की सजावट सभी आवंटियों को कार्यकारी निदेशक/प्रशासन–।। अथवा उनके प्रतिनिधि से हॉल की सजावट हेतु अनुमति लेनी होगी। इस उद्देश्य के लिए आवंटी को सहायक अभिकल्प अभियंता/विद्युत अनुरक्षण अनुभाग से एक अतिरिक्त कनेक्शन लेना होगा। मुंडेरों की सजावट की अनुमति नहीं है तथा किसी को भी छत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. आवंटी को बिना सूचित किये अथवा बिना कारण बताए राजधानी हाल/नया राजधानी हाल का आवंटन निरस्त करने का अधिकार अ.अ.मा.सं. प्रशासन को होगा।

12. निर्देशः–

(क) केवल हॉल के अन्दर ही साउन्ड बॉक्स लगाये जा सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता 55 डेसीबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हॉल के बाहर साउन्ड बॉक्स/लाउडस्पीकर/डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(ख) किसी प्रकार का मद्यपान नहीं किया जायेगा। राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल के आवंटी को इस प्रतिबन्ध पर ईमानदारी से नजर रखनी होगी और विफलता के परिणामस्वरुप जमा की गयी संपूर्ण जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

13. निरस्तीकरणः–

आवंटी द्वारा आवंटन को रद्द करने की दशा में पहले से जमा किराया प्रभार में से निम्नानुसार कटौतियॉं की जायेंगी तथा अ.अ.मा.सं. कार्मिकों के वेतन से तदनुसार रिकवरी की जायेगी।

क्र.सं.	अग्रिम रूप से समारोह के दिन को छोड़कर निरस्त करने हेतु	विवाह तथा विवाह संबंधी समारोह	ऐसे सामाजिक समारोह जो विवाह अथवा विवाह से संबंधित कार्यक्रमों के लिए नहीं हैं
1.	30 दिन तथा अधिक	किराया प्रभार का 50 प्रतिशत	—
2.	15 दिन – 29 दिन	किराया प्रभार का 75 प्रतिशत	किराया प्रभार का 75 प्रतिशत
3.	15 दिन से कम	किराया प्रभार का 100 प्रतिशत	किराया प्रभार का 100 प्रतिशत

आरडीएसओ कर्मचारी, सेवानिवृत्त आरडीएसओ कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के अस्थायी आवंटन के लिए जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी के रूप में धनराशि रु.50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पोर्टल "एसबी कलेक्ट" के पोर्टल पर आरडीएसओ फी कलेक्शन के अन्तर्गत आवंटी द्वारा सीधे चालान के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट/नेटबैंकिंग से बुकिंग के आवेदन देने के उपरान्त किराया प्रभार के साथ ही जमानत राशि जमा की जायेगी। यह जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी रिफन्डेबल होगा।

30/1/19

जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी जब्त करने संबंधी शर्तें निम्नलिखित हैः—

a. आवंटी द्वारा राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के अस्थायी बुकिंग हेतु आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा एवं समय-सीमा का अनुपालन अति-आवश्यक होगा।

b. आवंटी द्वारा आरडीएसओ प्रॉपर्टी की क्षति न करने पर विशेष ध्यान रखना होगा।

c. आवंटी द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा वर्णित कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

d. रात्रि 10:00 बजे के पश्चात डीजे बजाने पर प्रतिबन्ध के लिए आवंटी द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जायेगा। आरडीएसओ परिसर में स्थित राजधानी हाल/नया राजधानी हाल में डीजे बजाने हेतु जिलाधिकारी/लखनऊ एवं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ/आरडीएसओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। केवल हॉल के अन्दर ही साउन्ड बॉक्स लगाये जा सकते हैं। साउंड का वाल्यूम कम रखा जानाा चाहिए। हॉल के बाहर साउन्ड बॉक्स/लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है बशर्ते कि प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त न की गयी हो। रात्रि 10:00 बजे के बाद बैंडबाजा बजाना, बारात घुमाना, अन्य कोई आयोजन सड़क पर नहीं किया जायेगा।

c. आवंटी को सिविल अनुरक्षण अनु., विद्युत अनुरक्षण अनु. एवं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

f. किसी प्रकार का मद्यपान नहीं किया जायेगा। राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल के आवंटी को इस प्रतिबन्ध पर ईमानदारी से नजर रखनी होगी और विफलता के परिणामस्वरुप जमा की गयी संपूर्ण जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर आवंटी द्वारा जमा की गयी जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी को आरडीएसओ प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी के लिए राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के आवंटन हेतु ऊपर उल्लिखित शर्तें पूर्ण करने पर ही आवंटी को जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी वापस की जायेगी।

जमानत राशि/सिक्योरिटी मनी वापसीः—

वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न होने के 15 दिनों के पश्चात जमानत राशि वापिस की जायेगी।

- जमानत राशि में से समायोजन की जाने वाली राशि के बारे में सिविल अनुरक्षण अनु., विद्युत अनुरक्षण अनु. एवं मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न होने के अगले कार्य दिवस में आवश्यक रूप से प्रशासन अनुभाग को सूचना देनी होगी।

एफिडेविट का प्रोफार्मा

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु घोषणा पत्र

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित नियम/दिशा-निर्देश/शर्तों का पालन करुंगाः—

1. भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 के अनुसार दिन के समय (प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के दौरान) अत्यधिक आवाज तथा रात्रि के समय (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के दौरान) ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम या अन्य किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण निषिद्ध है। ऐसे नियमों का अनुपालन न करने वाला व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए कारावास के साथ रुपए एक लाख के जुर्माने का भागी होगा।
2. दिन के समय (प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के दौरान) भी ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम की ध्वनि का स्तर 55 डेसीबल से कम रहना चाहिए।
3. राजधानी हाल/नया राजधानी हाल परिसर आवासीय कॉलोनी एवं रेलवे अस्पताल तथा स्कूल इत्यादि इस क्षेत्र में होने के कारण बैंड-बाजों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित है। रात्रि 10:00 बजे के बाद कॉलोनी में बारात घुमाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
4. ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम के प्रयोग करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा दी गयी स्वीकृति एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम लगाने वाली एजेंसी का नाम, पता, मोबाइल नम्बर को आवंटी द्वारा प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ/आरडीएसओ को उपलब्ध कराना होगा। इस दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित न कर पाने पर आवंटी को ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मैंने उपरोक्त नियम, दिशा-निर्देश एवं शर्तों को ठीक तरह से पढ़ और समझ लिया है और घोषणा करता हूँ कि इन सभी नियम, दिशा-निर्देश एवं शर्तों का पूरी तरह से पालन करुंगा। मैं यह भी जानता हूँ कि उपरोक्त नियम, दिशा-निर्देश एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर विधि अनुसार निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मेरे पूरी जमानत राशि/सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

भवदीय

हस्ताक्षरः
नाम एवं पदनामः
कार्यालय का नामः
आवासीय पताः

30/1/19

S.No.	Item	Rajdhani Hall Rental Charges	New Rajdhani Hall Rental Charges
	Security Money : Rs.50,000/- (applicable to all allottee for all kind of Functions)		
I.	For Marriage or Marriage Related fuctions of (i) RDSO employees (ii) Children of RDSO employees (iii) Dependent brothers & sisters (as per Pass Rules) of RDSO employees (iv) Sons and Daughters of retired RDSO employees	Rs.3,500/- per day or part thereof	Rs.4,000/- per day or part thereof
II.	For Marriage or Marriage Related fuctions of (a) Railway employees (b) Children of Railway employees (c) Dependent brothers & sisters (as per Pass Rules) of Railway employees (d) Sons and Daughters of retired Railway employees	Rs.10,000/- per day or part thereof	Rs.10,000/- per day or part thereof
III.	For Marriage or Marriage Related fuctions of (a) Real Brothers & Sisters of RDSO employees not covered in I (c) above	Rs.11,500/- per day or pa thereof	Rs.12,000/- per day or part thereof
	(b) Real Brothers & Sisters of Railway employees not covered in II (c) above (c) KV/RDSO employees (d) Children of KV/RDSO employees	Rs.12,000/- per day or part thereof	Rs.12,000/- per day or part thereof
IV.	For Religious, Cultural and Social Functions organised by Associations, Clubs, Socities recognized by RDSO		
	(a) Which are open to all	Rs.200/- per day or part thereof	Rs.700/- per day or part thereof
	(b) Which are confined to a particular group of person	Rs.12,000/- per day or part thereof	Rs.12,000/- per day or part thereof
V.	For Social, Family, Religious functions (not related to marriage or marriage related functions) pertaining to children of serving employees of RDSO only	Rs. 3,500/- per day or part thereof	Rs. 4,000/- per day or part thereof
VI.	For Retirement Functions organized by retiring RDSO employees	Rs. 3,500/- per day or part thereof	Rs. 4,000/- per day or part thereof
VII.	For Social, Family, Religious functions (not related to marriage or marriage related functions) pertaining to children of serving Railway employees other than RDSO.	Rs.10,000/- per day or part thereof	Rs.10,000/- per day or part thereof
VIII.	Scvanging Charges to be deposited cash on date of event to Estate Supervisor at Rajdhani Hall	Rs.8000/-* per day or part thereof *in reference to CPO's note no.CPO/Misc/2019 dated 24.01.2019	
IX.	Electricity Charges for Internal Gadgets	Charges as per decided by Electrical Maintenance Section (EMS)	

Note : (i) Security Charges is refundable after adjusting dues, if any, payable by the allottee.
(ii) In case of any penalty being charged, security money of Rs.50,000/- will be forfeited.

30/1/19

भारत सरकार – रेल मंत्रालय
अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन
मानक नगर, लखनऊ–226011

सं0 ए/जी/आर हॉल/पॉलिसी

दिनांकः 12.04.2019

विषयः अ.अ.मा.सं. परिसर में स्थित राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग/आवंटन हेतु नियम तथा प्रक्रिया।

संदर्भः दिनांक 30.01.2019 को जारी समसंख्यक पत्र।

—00—

दिनांक 30.01.2019 को जारी समसंख्यक पत्र के माध्यम से अ.अ.मा.सं. परिसर में स्थित राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग/आवंटन हेतु नये नियम तथा प्रक्रिया जो कि दिनांक 31.01.2019 से लागू किये गये, में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैंः–

1. आरडीएसओ में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग/आवंटन हेतु सिक्योरिटी मनी जमा करने से छूट प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही आरडीएसओ में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को एक घोषणा पत्र देना होगा जो कि निम्न प्रकार हैः–
   "मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के उपयोग के दौरान रेल संपत्ति/रेल प्रशासन को हानि होती है/शिकायत प्राप्त होती है/निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो आरडीएसओ प्रशासन द्वारा मेरे वेतन से समुचित कटौती करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।"

2. राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की भविष्य में होने वाली बुकिंग/आवंटन हेतु सफाई प्रभार नहीं लिया जायेगा। आवंटी द्वारा राजधानी हाल/नया राजधानी हाल को खाली करते समय पर्याप्त साफ–सफाई करवाकर देना होगा। पर्याप्त साफ–सफाई के लिए नगर अभियंता कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं एनओसी देते समय स्पष्ट रूप से साफ–सफाई के बिन्दु पर उल्लेख करना आवश्यक होगा। नगर अभियंता कार्यालय द्वारा पर्याप्त साफ–सफाई करवाने संबंधी एनओसी न देने की स्थिति में आवंटी से दण्डस्वरुप सफाई प्रभार के रूप में राशि रु.8000/– सिक्योरिटी मनी से कटौती कर ली जायेगी। आरडीएसओ में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के मामले में यह कटौती उनके वेतन से बिल अनुभाग द्वारा की जायेगी जिसकी सूचना नगर अभियंता कार्यालय द्वारा सीधे बिल अनुभाग को दी जायेगी।

3. राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की बुकिंग के समय आवेदन पत्र के साथ आवंटी द्वारा निमंत्रण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं होगा।

4. आवंटी द्वारा डीजे बजाने हेतु जिलाधिकारी/लखनऊ से अनुमति लेना वैकल्पिक होगा।

5. आवंटी द्वारा डीजे बजाने हेतु प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ/आरडीएसओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

6. आवंटी द्वारा राजधानी हाल/नया राजधानी हाल को खाली करते समय सिविल अनुरक्षण अनुभाग, विद्युत अनुरक्षण अनुभाग एवं आरपीएफ/आरडीएसओ से एनओसी लेना अनिवार्य होगा।

7. राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की भविष्य में होने वाली बुकिंग/आवंटन हेतु विद्युत अनुरक्षण अनुभाग द्वारा यथा निर्धारित विद्युत प्रभार एलोकेशन 02029698 के अर्न्तगत एवं राजधानी हाल/नया राजधानी हाल का किराया एलोकेशन 00100170 के अर्न्तगत आवंटी द्वारा सीधे एसबी कलेक्ट के माध्यम से जमा किया जायेगा। आरडीएसओ में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के मामले में निर्धारित राजधानी हाल/नया राजधानी हाल का किराया, विद्युत प्रभार एवं अतिरिक्त विद्युत प्रभार कटौती उनके वेतन से पूर्व की भांति बिल अनुभाग द्वारा की जायेगी। इस संबंध में किराया कटौती तथा विद्युत प्रभार व अतिरिक्त विद्युत प्रभार कटौती की सूचना प्रशासन अनुभाग एवं विद्युत अनुरक्षण अनुभाग क्रमशः द्वारा सीधे बिल अनुभाग को दी जायेगी।

(राजीव सिंह)
का.निदेशक/प्रशा–।।
12/4/19

संलग्नकः कुछ नहीं।

<u>वितरण</u>
यथा सामान्य।

नगर अभियंता/एसई/इस्टेट	कृपया उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
सहायक अभि.अभियंता/विद्युत अनुरक्षण	कृपया उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
वरि. कार्मिक अधिकारी/बिल्स	एसएसई/इस्टेट एवं सहायक अभि.अभियंता/विद्युत अनुरक्षण द्वारा रिपोर्ट की गयी धनराशि की रिकवरी सुनिश्चित कराने हेतु।
निदेशक/टेली	आरडीएसओ इन्ट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।